भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2487

उत्तर देने की तारीख : 10.08.2026

अनिवार्य भुगतान-निपटान से पूर्व सीपीएसई का टीआरईडीएस पर पंजीकरण संबंधी अनुपालन

2487. श्री मोहम्मद नदीमुल हक:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2018 से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) के लिए टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण अनिवार्य किए जाने के बाद, पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष टीआरईडीएस के माध्यम से निपटाए गए सीपीएसई-एमएसएमई बीजकों (इनवॉयस) के कुल मूल्य का अनुपात कितना रहा है; और

(ख) टीआरईडीएस के माध्यम से निपटान को अनिवार्य करने संबंधी 30 जून, 2026 की अधिसूचना से पूर्व सीपीएसई की तरफ से एमएसएमई भुगतान की कुल बकाया राशि कितनी है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विगत तीन वर्षों के दौरान ट्रेड्स (टीआरईडीएस) प्लेटफार्म के माध्यम से वित्तपोषित सीपीएसई से संबंधित एमएसएमई चालानों के कुल मूल्य का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	**सीपीएसई-क्रेता से संबंधित चालानों का मूल्य (करोड़ रुपए में)**
2023-24	7,102.40
2024-25	10,668.93
2025-26	16,143.69

(ख) : समाधान पोर्टल 2.0 (दिनांक 24 अप्रैल, 2026 से प्रभावी) पर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) सहित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 30 जून, 2026 तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के प्रति संचयी बकाया राशि 48,209.46 करोड़ रुपए थी, जिसमें से 31,452.73 करोड़ रुपए का भुगतान किए जाने की सूचना दी गई है। 45 दिनों के भीतर 16.032 करोड़ रुपए और 45 दिनों से अधिक समयावधि के लिए 724 करोड़ रुपए की राशि बकाया है।
